

क्रमांक/क्षे.व.अ./2019/Comp-Bno.

दिनांक:- 12/7/19

निमित्त,  
श्रीमान उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा में ग्राम वजवाना से बांसवाड़ा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4163-66 दिनांक 09.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान के उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के क्रम में बिंदु संख्या-2 की पालना के क्रम में ग्राम पाटन तहसील बागीदौरा के खसरा नंबर 832 एवं 832/3003 में आरक्षित की गई 4.99 हेक्टेयर गैर वनभूमि का राजस्व विभाग के प्रतिनिधि एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दिनांक 12.07.2019 को संयुक्त मौका निरीक्षण करवा कर निशानदेही/सीमांकन करवाया गया एवं मौका पर्चा तथा नजरी नक्शा कायम किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। तदनुसार वन विभाग हेतु आरक्षित की गई भूमि गैर वनभूमि ही होना पाया गया है। उक्त भूमि पूर्व से वन विभाग के नाम ना होकर सिवायचक भूमि है किंतु उक्त भूमि पर पूर्व से ही वन विभाग का कब्जा होने के कारण वन सीमाओं के डिजिटल मानचित्र कार्य के दौरान आरक्षित की गई भूमि को वन क्षेत्र के अंदर ले लिया जाने से वन विभाग के डिजिटल मानचित्र में वन क्षेत्र के अंदर होना प्रतीत हो रही है। वास्तव में उक्त आरक्षित की गई भूमि सिवायचक गैर वनभूमि है।

बिंदु संख्या 5 की पालना में उक्त परियोजना में वन खंड वार एवं खसरा वार प्रभावित होने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

विधि  
396  
12/7/19

भवदीय  
12/7/19

(प्रवीण आहारी)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
गढ़ी।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा  
क्रमांक : 3363.....  
दिनांक : 12/7/19.....

मौका पर्चा

राजखुशाम - पाटन

दिनांक 12-7-2019

आज दिनांक 12-7-19 को कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के पत्रांक 4163-65 दिनांक 9-7-19 एवं कार्यालय लक्ष्मीलडार (धु-अभिलेख) बागीदौरा के पत्रांक 563-66 दिनांक 11-7-19 की पालना में राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के विस्तारीकरण चौकीकरण एवं झुड़कीकरण कार्य के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा में ग्राम राजखुशाम से बांसवाड़ा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हेक्टर वन भूमि के बदले ग्राम पाटन लक्ष्मील बागीदौरा के पत्रांक 832 व 832/3003 में प्रस्तावित आरक्षित 4.99 हेक्टर गैर वन भूमि का मौका निरीक्षण कर निशानदेही की गई। उक्त मौका निरीक्षण धु-अभिलेख निरीक्षक सीव, पञ्चमी पाटन, सपोर्ट वन विभाग, वनपाल नाका ललकडा मथ नाका स्टाफ, सरपंच ग्राम पंचायत पाटन एवं कंपनी के प्रतिनिधि के साथ किया गया। मौका निरीक्षण करके पर उक्त प्रस्तावित भूमि कन्वर्ट सेलान फ्लासी के ग्राम पाटन के पिल्लर नं. 178 से 179 तक है जो कि नाले से लगती हुई है। उक्त भूमि पूर्व से वन विभाग के नाम न लेकर सिवायचक भूमि है किंतु उक्त भूमि पर पूर्व से ही वन विभाग का कब्जा होने के कारण वन सीमाओं के डिजिटाइजेशन कार्य के दौरान वन क्षेत्र के अन्दर ले लिये जाने के कारण वन विभाग के डिजिटल मानचित्र में वन क्षेत्र के अन्दर होना प्रतीत हो रहा है। वास्तव में उक्त प्रस्तावित भूमि सिवायचक (गैर वन भूमि) है।

मौका पर्चा मौलविशान के सारक वक लंपार कर पढकर सुनाया गया तथा अंगुष्ठ / हस्ताक्षर कृतिये गये।

राजखुशाम

उप वन संरक्षक  
सर्वमल Bw

पञ्चमी पाटन

12/7/19

उमकाशाम

सरपंच  
ग्राम पंचायत पाटन  
पं.स. बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा

22/7/19

शिव नन्द

शिव नन्द  
B.P. 8.10  
N.P. Dindan  
Banswara

उप वन संरक्षक  
बांसवाड़ा